

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2015/01(120)/XXVII(8)/2015

देहरादून:: दिनांक 3/ अगस्त, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-1 के क्रमांक की प्रविष्टि संख्या 44 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

क्र0सं0	माल का विवरण
44.	समस्त रासायनिक उर्वरकों का पोटेश एवं फास्फेटिक कम्पोनन्ट जो कि समय-समय पर उर्वरक नियंत्रक आदेश, 1985 (यथा संशोधित), के अधीन वर्णित हो। किसी रासायनिक उर्वरक में फास्फेटिक एवं पोटेश संघटक के मूल्य का अवधारण कृषि विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 381 /2015/01(120)/XXVII(8)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

5872
01/9/16

20
19/8
अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,
हीरा सिंह बसेड़ा
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2015/01(120)/ XXVII(8)/2015 dated August, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No /2015/ 01(120)/XXVII(8)/2015
Dehradun :: Dated :: August, 2015

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In Schedule-I, for the existing entry at serial No. 44, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. no.	Description of Goods
44.	Phosphatic and potash components of all chemical fertilizers described under the Fertilizer (Control) Order, 1985 as amended from time to time. The value of phosphatic and potash components of a chemical fertilizer shall be determined according to guidelines issued by the Department of Agriculture, Uttarakhand from time to time.


(Amit Singh Negi)
Secretary